उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001.

दूरभाष – 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177.

पत्रांक 3176 / वि0अनु0 / 02 / शा0अनु0–226436(34) / 2024–25 दिनांक : 02/09/24

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पिथौरागढ़।

विषयः जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत एंचोली और रोडवेज वर्कशाप से मेहता सदन भदेलवाडा तक घाट राईजिंग मेन 300 एम0एम0 व्यास की एम0एस0आर0डब्लू0 पाईप लाईन के स्थानान्तरण एवं पुनर्संरेखण की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–226436/2024 ई0– 75094 / 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 22 जुलाई, 2024 से जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत एंचोली और रोडवेज वर्कशाप से मेहता सदन भदेलवाडा तक घाट राईजिंग मेन 300 एम0एम0 व्यास की एम0एस0आर0डब्लू0 पाईप लाईन के स्थानान्तरण एवं पुनर्संरेखण की योजना की विभागीय टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत **₹ 88.18** लाख में से सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए **₹ 79.73** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किश्त के रुप में **₹ 47.84** लाख (₹ सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि **₹ 47.84** लाख आपको आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 3104 दि. 30.08.24 **(छायाप्रति संलग्न)** से **RTGS** के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी है।

कृपया व्यय उपरांत उपयोगिता महाप्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(देवराज)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(34)

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2024

विषय :- **जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत एंचोली और रोडवेज वर्कशाप से मेहता सदन भदेलवाडा तक घाट राजजिंग मेंन 300 एम0एम0 व्यास की एम0एस0आर0डब्ल्यू0 पाईप लाईन के स्थानान्तरण एवं पुनर्संरेखण की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 1568/टी0ए0सी0/2024-25 दिनांक 22 जून, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत एंचोली और रोडवेज वर्कशाप से मेहता सदन भदेलवाडा तक घाट राजजिंग मेंन 300 एम0एम0 व्यास की एम0एस0आर0डब्ल्यू0 पाईप लाईन के स्थानान्तरण एवं पुनर्संरेखण की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत ₹ 88.18 लाख में से सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए ₹ 79.73 लाख (रू0 उन्यासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 47.84 लाख (रू0 सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माह/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 22/07/2024 05:38 PM

[illegible] प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(x) उक्त योजनाओ के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमो, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(xiii) योजना के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदो की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

(xiv) योजना की प्राविधिक स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 14910/XXIV(7)E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/201358/09(150)2019/XXVII(1)2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/225668/2024 दिनांक 18 जुलाई, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में जारी किये जा रहें है।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

भवदीय,

Signed by Karmendra Singh
Date: 22-07-2024 16:40:52
(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

<u>पृ0सं0–75094 / (1) / 2024, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Vivek Kumar Jain
Date: 22-07-2024 16:59:47
(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner